


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

जिा 4229-II/13

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी ~~1413~~ ~~तीन~~ /03

जिला ~~मुंबई~~ ~~उत्तरप्रदेश~~

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.09.2015	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता ने मौखिक रूप से बताया गया है कि सिविल सूट में राजीनामा हो गया है । अतः प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किया जाता है ।</p>	<p></p>



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /13 निगरानी

R- 4229-11/13

श्री उदीप श्रीवास्तव अर्जित
द्वारा आज दि. 27-11-13 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

गुलाब सिंह पुत्र स्व. श्री खुमान सिंह रघुवंशी आयु
42 वर्ष व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम सेमरी जुम्नन
तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

शारदा बाई पुत्री खुमान सिंह पत्नी रघुवीर सिंह
निवासी ग्राम मथनेर तहसील शाढौरा जिला
अशोकनगर (म.प्र.)

..... अनावेदिका

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 30.10.13 जिसे श्री ए.के. श्रीवास्तव अपर आयुक्त
ग्वालियर संभाग ने अपने यहां के प्रकरण क्रमांक
496/10-11 अपील में पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदक के पिता स्व. खुमान सिंह रघुवंशी ने अपनी स्वअर्जित संपत्ति का दिनांक 12.6.91 को रजिस्टर्ड वसीयत अपने लड़के (गुलाब सिंह) आवेदक के पक्ष में की थी तथा उनकी मृत्यु दिनांक 28.02.10 को होने के उपरांत आवेदक द्वारा सर्वे नं. 331 स्थित ग्राम हिनोतिया बघेल पर अपने पिता के स्थान पर नामांतरण कराने हेतु तहसील न्यायालय में

गुलाब सिंह